न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज०

पीठासीन अधिकारी - श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

मु.सं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
18/17	7.2.2017	26/3/2018

उनवान

[1] लेखराम पुत्र महेन्द्रसिंह जाति अहीर निवासी कारीरीयास तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

- वादी

बनाम

[1] राज. सरकार जरिये पैशकार मुमिआरी तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

-प्रतिवादी

दावा दुरस्तीकरण हक मय दुरुस्ती इन्द्राज
अं.धा. 88, 89 राज. टी. ऐ. 1955

उपस्थित :-

[1] श्री सुबेसिंह यादव अभिभाषक वादी

[2] पैशकार तहसीलदार कोटकासिम

वादी ने मय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर दावा बाद दुरस्तीकरण हक मय दुरुस्ती इन्द्राज का इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी हाल ख.नं. 99 रकबा 0-10 बिस्वा (0.1265 हे०) 98 रकबा 0-19 बिस्वा (0.2403 हे०) वाके ग्राम कुहीवास में वादी का 1/3 भाग, वादी के भाई बलवन्त का 1/3 भाग व किशोर पुत्र कुरदराम का 1/3 भाग है जो रजिस्टर्ड बयनामा नम्बर दिनांक 5.3.1992 को खरीद की हुई है एवं इसी कदर मौका पर काबिज है। गांव में वादी को लक्खूराम के नाम से पुकारा जाता था इसलिए बयनामा करते समय वादी के भाई बलवन्त व किशोर ने बयनामाजात में वादी का नाम लक्खूराम पुत्र महेन्द्रसिंह दर्ज करा दिया। और इसी के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज को स्वीकार हो गया। जिन वादी का

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

लगातार -

Scanned by CamScanner

वास्तविक नाम केसवराम है। मिन वादी ने दीगर आराजीयात खरीद की है उसमें सही नाम केसवराम अंकित है। इस गलत इन्द्राज का ज्ञान दिनांक 6.2.2017 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जब पटवारी के पास गया तब जानकारी हुई। मिन वादी ने नकल तैयार करवाकर बिना देरी दावा पेश किया। अतः निवेदन है कि मिन वादी का नाम लक्खुराम के स्थान पर केसवराम दुरुस्त किया जावे। मिन वादी ने पहचान पत्र, आधार कार्ड व जमाबन्दी, सरपंच ग्राम पंचायत गुहेबावज का प्रमाण पत्र पेश किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने अपने जवाब दावा में अंकित किया कि वादी अपने वाद को स्वयं सिद्ध करे।

बहस विद्वान अभिभाषक वादी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि गांव में मिन वादी को लक्खुराम कहते थे जबकि मिन वादी का वास्तविक नाम केसवराम है। वक्त पैमाइश में भी लक्खुराम लिखा गया। जबकि सभी दस्तावेजात में मिन वादी का नाम केसवराम पुत्र महेन्द्रसिंह है। इसलिए मिन वादी का नाम दुरुस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत गुहेबावज द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं. 99 व 98 ग्राम गुहेबावज में वादी का नाम लक्खुराम पुत्र महेन्द्रसिंह के स्थान पर केसवराम पुत्र महेन्द्रसिंह दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

परचा - डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - श्री किशन सिंह मीना R.A.S

मु.न.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
18/17	07/02/2017	26/03/2018

उनवान

[1] लेखराम पुत्र महेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी काशीराबास तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

-वादी

बनाम

[1] राज. सरकार जरिये पैरोकार मुमेण्डारी तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

-प्रतिवादी

दावा डिक्लेरेशन मय दुरुस्ती इन्द्राज
अं.धा. 88,89 रा.का.अ. 1955

वादी का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल ख.नं. 99 व 98 वाके ग्राम बुढीबावड़ में वादी का नाम लख्खुराम पुत्र महेन्द्र सिंह के स्थान पर लेखराम पुत्र महेन्द्र सिंह दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner